रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1985/फाल्गुन 9, 1906
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEB. 28, 1985/PHALGUNA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 88-आई टी सी (पी एन)/84-85

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम-आयात-निर्यात नीति 1984-85 (खण्ड-1) के परिशिष्ट 22 का अनुबन्ध-3 ।

मिसिल सं. 12/1/85-ई पी सी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 82-आई टी सी (पी एन)/84 दिनांक 31 जनवरी, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि । फरवरी, 1985 से उक्त स्कीम

के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना बेचने की कीमत 1266/- रु. शुद्ध सोने का प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर होगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1 मार्च, 1985 से, आगामी आदेश जारी होने तक, रिलीज आदेश के धारकों को भारतीय स्टेट बैंक बैंक द्वारा जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह कीमत शुद्ध सोने के प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़ कर) 1289/- रुपए (एक हजार दो सौ नवासी रुपए मात्र) होगी ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 88-ITC(PN)|84-85

New Delhi, the 28th February, 1985

Subject :—Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme—Annexure III to Appendix 22 of the Import and Export Policy, 1984-85 (Vol. I).

File No. 12|1|85-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 82-ITC(PN)|84 dated the 31st January, 1985 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India with effect from 1st February, 1985 would be Rs. 1266 per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Order Holders under the said Scheme by the State Bank of India with effect from 1st March, 1985 until further orders would be Rs. 1289|- (Rs. One thousand two hundred and Eighty nine only) per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness), (exclusive of any local taxes applicable thereto).

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985